कार्यान्वयन के तहत चल रही परियोजनाएँ

परियोजना	उद्देश्य और निष्कर्ष
जीआईज़ेड - भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु मृदा सुरक्षा और पुनर्वास **अवधि:** जून 2015 से जून 2023 तक **परिव्यय: 15.725** मिलियन यूरो = ₹129.86 करोड़	इस कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहित करना है, जिससे लगभग 153,000 हेक्टेयर भूमि में कृषि उत्पादकता बढ़े, जिसमे से 53,000 हेक्टेयर भूमि गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा सहायताकृत लक्ष्यित क्षेत्र में शामिल है और 100,000 हेक्टेयर भूमि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में क्रियान्वित डिजिटल एड्वाइज़री प्लेटफार्म हेतु लक्ष्यित क्षेत्रों में शामिल है. इस कार्यक्रम की वैधता दिसंबर 2017 थी, जिसे बढ़ाकर जून 2023 तक कर दिया गया था. कार्यक्रम का विस्तार दिसंबर 2024 तक करने की प्रक्रिया प्रगति पर है.
केएफ़डबल्यू - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और निम्नीकृत मृदा के पुनर्वास के लिए वाटरशेड विकास का समन्वयन (एसईडबल्यूओएच-II) **अवधि**: दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक **परिव्यय :** € 5 मिलियन = ₹ 40 करोड़	इसका उद्देश्य मिट्टी और जल संसाधनों के स्थिरीकरण, वर्धन और संधारणीय उपयोग के माध्यम से चयनित वाटरशेड में लघु पैमाने पर किसानों की जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को कम करना है. यह परियोजना केरल और झारखंड जैसे राज्यों की पूर्ण हो चुकी 55 वाटरशेड परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही है.

केएफ़डबल्यू - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और निम्नीकृत मृदा के पुनर्वास के लिए वाटरशेड विकास का समन्वयन (एसईडबल्यूओएच-III) **अवधि** : अक्तूबर 2020 से दिसंबर 2024 तक **परिव्यय:** € 4.5 मिलियन = ₹ 33.75 करोड़	इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिट्टी और जल संसाधनों के स्थिरीकरण, वर्धन और संधारणीय उपयोग के माध्यम से चयनित वाटरशेड में लघु पैमाने पर किसानों की जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को कम करना है. यह परियोजना तीन राज्यों अर्थात बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 48 वाटरशेड पर क्रियान्वित की जा रही है
जीआईज़ेड - संधारणीय कृषि और संधारणीय जलचर पालन हेतु क्षमता वर्धन पर तकनीकी सहायता परियोजना (C-SASA) **अवधि** : जनवरी 2020 से मार्च 2023 तक **परिव्यय:** € 1.5 मिलियन = ₹ 12.74 करोड़	इस कार्यक्रम का उद्देश्य नाबार्ड की वर्तमान पोर्टफोलियो जैसे वाटरशेड और आदिवासी विकास को तकनीकी सहायता प्रदान करना है, जो परियोजनाओं के अन्वेषण और मैपिंग के लिए जीआईएस- आधारित निर्णय समर्थित तंत्र के विकास और विनियोजन के माध्यम से किया जाएगा. यह परियोजना प्रभावी एफ़पीओ की पारिस्थितिक प्रणाली को लागू करने हेतु नाबार्ड को सहायता प्रदान करने के लिए होगा.
जीआईज़ेड - 'जलवायु अनुकूलन और ग्रामीण भारत में वित्त की स्थिति' पर तकनीकी सहायता परियोजना (CAFRI) **अवधि** : जनवरी 2020 से जून 2023 तक **परिव्यय:** € 1.5 मिलियन = ₹ 13.51 करोड़	इस संपूर्ण परियोजना का उद्देश्य जलवायु अनुकूलन पर भारत की राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) में सुधार लाना है, जो अनुकूलन संबंधी पहलों और वित्तीय माध्यमों के लिए जलवायु संवेदनशील डिज़ाइन की आवश्यकता और साक्ष्य आधारित योजना के संबंध में है. यह परियोजना नाबार्ड की क्षमता को मजबूत करने पर केन्द्रित है, जो जलवायु अनुकूलन के लिए वित्त जुटाने सहित आवश्यकता-चालित, लिंग-उत्तरदायी से संबंधित जलवायु अनुकूलन उपायों को लागू करेगा

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित सफलता की कुछ कहानियाँ

केएफ़डबल्यू- नाबार्ड आदिवासी विकास कार्यक्रम, गुजरात - चरण - I -यथार्थ मूल्यांकन

केएफडब्ल्यू, जर्मनी की एक स्वतंत्र मूल्यांकन टीम ने आदिवासी विकास कार्यक्रम, गुजरात - चरण I का यथार्थ मूल्यांकन किया

मिशन का उद्देश्य यह आकलन करना था कि कार्यक्रम के मूल रूप से अभिप्रेत विकास प्रभाव और लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं और क्या वें उपलब्धियां टिकाऊ होंगी. यह मूल्यांकन, कार्यक्रम के समापन के लगभग सात वर्षों के बाद विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों अर्थात प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, प्रभाव और स्थिरता के आधार पर आयोजित किए गए थे.

मूल्यांकन के निष्कर्षों ने वाडी मॉडल को एक अच्छे उदाहरण के रूप में अभिस्वीकृत किया है और तब से इसे कई भारतीय राज्यों में दोहराया गया है.इन निष्कर्षों का भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण भी देखा गया है. आर्थिक प्रभाव ऐसा था कि कम से कम 70% परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर आय प्राप्त हुई. मौसमी प्रवासी श्रम में भी उल्लेखनीय गिरावट आई, जीवन स्तर में सुधार: आर्थिक और सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा; और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में वृद्धि हुई. मिशन टीम ने कार्यक्रम को रेटिंग "1" से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है "बहुत अच्छे परिणाम जो स्पष्ट रूप से अपेक्षाओं से अधिक हैं" जो बहुत ही दुर्लभ रेटिंग है. यह रेटिंग इस क्षेत्र और भाग में किसी भी विकास कार्यक्रम को प्राप्त होने वाली सबसे अधिक थी.

केएफ़डबल्यू- नाबार्ड XI - ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में सुधार - चरण I - यथार्थ मूल्यांकन

नवंबर 2017 में केएफडब्ल्यू जर्मनी द्वारा केएफडब्ल्यू - नाबार्ड XI - ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के सुधार का एक यथार्थ मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया था. विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों अर्थात प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, प्रभाव और स्थिरता के आधार पर मूल्यांकन आधारित था. रिपोर्ट के प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि कार्यक्रम बहुत प्रासंगिक था और अभी भी इसकी उपयोगिता बनी हुई है. परियोजना का उद्देश्य ज्यादातर प्रभावी था और परियोजना बहुत टिकाऊ थी.

मूल्यांकन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि परियोजना ने सहकारी समितियों के सदस्यों को औपचारिक वित्तपोषण में सहायता की है और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए रोजगार और आय सृजन में योगदान दिया. इस परियोजना ने सहकारी ऋण क्षेत्र के लिए एक नया कानूनी

ढांचा स्थापित करने में मदद की और साथ ही अधिकतर लाभहीन संस्थानों को स्वस्थ स्तर पर शामिल किया और उन्हें घाटे से लाभ कमाने वाली संस्थानों में परिवर्तित किया. नाबार्ड ने कार्यान्वयन प्राधिकरण और मध्यस्थता के भागीदार के रूप में, डिजाइनिंग प्रक्रिया के भीतर और पूरे परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सफलता का महत्वपूर्ण संचालक भी बन गया.

नाबार्ड सम्मान पुरस्कार - कार्लस्क्रूहे संधारणीय वित्त पुरस्कार

कार्लस्क्रूहे संधारणीय वित्त पुरस्कार संधारणीय वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ वित्तीय संस्थानों और संगठनों को सम्मानित करता है. इस पुरस्कारों का उद्देश्य मान्यता प्रदान करना, संगठनों को सम्मानित करना, वित्तीय संस्थानों के हितों को प्रोत्साहित करना और संधारणीय वित्तपोषण के साधनों के विकास को प्रोत्साहित करना है.

वर्ष 2017-18 के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के वित्तपोषण में नाबार्ड की सफल पहल को मान्यता देने के लिए उत्कृष्ट संधारणीय परियोजना के वित्तपोषण के लिए जर्मनी के कार्लस्क्रूहे शहर द्वारा नाबार्ड को **योग्यता प्रमाण पत्र** से सम्मानित किया गया है.